REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1112]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937
No. 1112]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

का.आ. 1410(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II खण्ड़ 3 उप खण्ड़ (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखत संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 169 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

(1)	(2)	(3)
"169	50	महाराष्ट्र राज्य में नांदेड़ में नई रा रा सं. 161 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर उद्गीर,
		बीडर, होमनाबाद, गुलबारगा, जेंवारगी, बीजापुर, होसपेट को जोडते हुए और कर्नाटक राज्य में
		लक्ष्मीसागर के समीप रा रा 48 पर अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (खण्ड़-6)]

माया प्राकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2015

S.O. 1410(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 169 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"169	50	The highway starting from its junction with new NH No. 161 at Nanded in the State of Maharashtra connecting Udgir, Bidar, Homnabad, Gulbarga, Jevargi, Bijapur, Hospet and terminating at its junction with NH-48 near Lakshmisagara in the State of Karnataka.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-6)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.